उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
1, राज विहार, चकराता रोड़ देहरादून।

पत्रांक 600/नि0मु0/स्थगन/संचालन/2012 दिनांक 13 मार्च 2012

मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम,
देहरादून/नैनीताल/टनकपुर।

निगम मुख्यालय के पत्र संख्या 37 दिनांक 04.01.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम की मार्ग पर संचालित वाहनों के खराब होने की दशा में परिचालक द्वारा अपने स्तर से ही यात्रियों को किराया वापसी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निदेश जारी करते हुए आख्या चाही गयी थी।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि मुख्यालय स्तर से निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी मार्ग पर वाहन खराब होने की दशा में परिचालकों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये किराया वापसी की कार्यवाही की जा रही है तथा वापस किये गये किराये को सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराये बिना ही मार्ग की आय निगम कोष में जमा करायी जा रही है जो कि अनुचित है।

अतः आप तत्काल प्रभाव से निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें:–
1. निगम मुख्यालय के उपरोक्त पत्र द्वारा निर्देशित किये जाने की तिथि के उपरान्त से जिन वाहनों का किराया वापस किया गया है उनके सम्बन्ध में डिपोवार सूचना निम्न प्रारूप में प्राप्त कर तत्काल निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–

क्र0सं0	मार्ग का नाम	वाहन संख्या	परिचालक का नाम	रिफण्ड की गयी धनराशि	रिफण्ड का कारण	डिपो स्तर पर स्वीकृत कर्ता अधिकारी का नाम/पदनाम
1	2	3	4	5	6	7

रिफण्ड के कारण हुई हानि के लिए उत्तरदायी संस्था/कार्मिक	टिप्पणी
8	9

2. तत्काल प्रभाव से डिपो स्तर पर किसी भी प्रकार के रिफण्ड की स्थिति में परिचालक के मार्ग से आने के उपरान्त एक रजिस्टर में प्रविष्टि करते हुऐ तथा परिचालक के नाम कम जमा कराई गई धनराशि की शार्टेज अंकित करते हुये धनराशि जमा कराई जाये तथा इस प्रकार के प्रत्येक प्रकरण पर डिपो के सहायक महाप्रबन्धक द्वारा सत्यापन करने के उपरान्त मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) से अनुमोदन कराया जाये अन्यथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर यदि शार्टेज अनुमोदित नहीं है तो सम्बन्धित परिचालक के वेतन से वसूली करने की जिम्मेदारी डिपो लेखाकार तथा सहायक महाप्रबन्धक डिपो की होगी।

(शैलेश बगौली)
प्रबन्ध निदेशक।

प्रतिलिपिः–

1. वित्त नियत्रक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय देहरादून।
2. महाप्रबन्धक (प्रशासन / संचालन / तकनीकी), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय देहरादून।
3. सहायक महाप्रबन्धक (संचालन) उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय देहरादून को इस आशय से कि मण्डलों से मासिक सूचना प्राप्त होने पर उसकी नियमित समीक्षा करना सुनिश्चित करें।
4. सहायक महा प्रबन्धक(वित्त)उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून / नैनीताल / टनकपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक महाप्रबन्धक, डिपोज, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून / नैनीताल / टनकपुर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश से कि उपरोक्तानुसार सूचना तैयार कर मण्डलीय प्रबन्धक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. सहायक लेखाधिकारी, आडिट, देहरादून / नैनीताल / टनकपुर को इस आशय से कि अपनी मासिक आडिट रिपोर्ट में उपरोक्त का संज्ञान लेना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध निदेशक।